न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 43/2015

प्रार्थी–

सलीम पुत्र सुराब जाति
मुसलमान निवासी भोजारिया
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत भोजारिया जरिये सरपंच
   ग्राम पंचायत भोजारिया प0स0 चौहटन
2. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र हाजी कायम खां
   जाति मुसलमान निवासी भोजारिया
   तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.12.2011 जो अप्रार्थी सं. 2 मोहम्मद इब्राहिम के नाम ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राऊराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम भोजारिया के मुसलमानों का बास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 1 दिनांक 05.12.2011 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 80 गुणा 100 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 145 से 157 व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

161 से 168 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से उक्त पट्टा मे वर्णित स्थल को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाना अंकित किया है जो कि सरासर गलत है। सार्वजनिक नीलामी का कोई इश्तहार, विज्ञापन आदि सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा नही किया गया तथा न ही मौके पर कोई कार्यवाही सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी के मध्य स्थित लाखों रूपये कीमत के भूखण्ड को मात्र 8000 रूपये मे ऊँची बोली मे नीलाम किया जाना बताया है जो मात्र अप्रार्थी सं. 2 को फायदा दिलाने के लिये गुपचुप कार्यवाही की गई है। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं रहवास है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा जांच किये बिना ही अप्रार्थी सं. 2 के साथ मिलीभगत कर आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। पंचायतीराज नियमो मे किसी भी भखण्ड का पट्टा 300 वर्गगज से अधिक नही दिया जा सकता है जबकि आलौच्य पट्टा 800 वर्गफुट का क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया हैं। आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्तावित भूखण्ड का कोई ब्लू प्रिन्ट नक्शा जिसमे सड़के, नालियों आदि का सर्वेक्षण नहीं दर्शाया गया हैं। इस प्रकार अप्रर्थी सं. 1 द्वारा मिलीभगत से प्रार्थी के कब्जाशुदा व रहवासीय भूखण्ड का पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें एवं प्रार्थी के कब्जे की जांच कर उसके पक्ष मे पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देश प्रदान करावें।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.12.2011 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत भोजारिया की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार समीपस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दर अनुसार शुल्क वसूल कर उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु दिनांक 05.10.2011 को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत भोजारिया के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर विधि सम्मत नियमों की पालना करते हुए दिनांक 05.12.2011 को पट्टा जारी किया है। प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पर कोई कब्जा अथवा रहवास नही हैं तथा भूखण्ड का स्वामित्व ग्राम पंचायत का होने से नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए सशुल्क पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख मे किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता अथवा अपूर्णता नही पाई गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम भोजारिया के मुसलमानों का बास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 1 दिनांक 05.12.2011 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 80 गुणा 100 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत भोजारिया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 145 से 157 व 161 से 168 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टा सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर बहाल रखे जाने योग्य नही हैं। इस सम्बन्ध मे अधिनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत भोजारिया की ओर से प्रस्तुत पत्रावली एवं पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने पुराने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा दिलाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत ने प्रस्तावित भूखण्ड के निरीक्षण हेतु मौका कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण करवाया, जिसमे कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे जमीन पडौसी के पट्टे की रेट पंचायत द्वारा तय शुद्ध रेट/मौके की होने के नाते 1.00 रूपये वर्गफुट होना बताया तथा इस पर प्रार्थी का हक बदस्तूर है। नीलामी द्वारा उचित मूल्य प्राप्त नही होना उल्लेखित किया। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख निरीक्षण कमेटी की सिफारिश अनुसार 1.00 रूपये वर्गफुट की दर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख नियम 167 (1) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के द्वारा जारी की जाने वाली प्रक्रिया के तहत जारी किया गया हैं जबकि प्रार्थी ने अपना पुराना कब्जा होना बताते हुए उसका पट्टा आवेदन पेश किया गया हैं व पत्रावली की आदेशिका मे भी प्रार्थी का आवासीय मकान (कच्चा) होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे न तो सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया गया है और न ही पुराने आवासगृहों के नियमितीकरण सम्बन्धित प्रावधान की पालना की है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा जारी पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड पर प्रार्थी भी अपना रहवासीय कब्जा होना बताता है व अप्रार्थी सं. 2 ने भी अपना कब्जा होना अंकित किया है ऐसे मे दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिकथनों से यह कतई साबित नही हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नही हो रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अनियमित रूप से पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 1 दिनांक 05.12.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत भोजारिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही नये सिरे से सम्पादित करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर